



झारखण्ड सरकार  
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,  
जिला नियोजनालय, चतरा।

**“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना”**

-: सूचना :-

योजना का नाम	योग्यता	पात्रता	आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से Aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए। NSQF मापदंड को विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक द्वारा अपनाने से पूर्व विभाग द्वारा संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक से सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों का प्रमाण पत्र रखने वाले सभी उम्मीदवार भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुड़े हो और न ही स्वरोजगार से जुड़े हो)</li><li>▶ आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।</li><li>▶ योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।</li><li>▶ झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (Domicile) हो।</li><li>▶ वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।</li><li>▶ इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।</li><li>▶ स्वयं का बैंक खाता/आधार कार्ड हो।</li><li>▶ आवेदन समर्पित करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनु० जाति/जनजाति एवं दिव्यांगों को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ आवेदक जिस विभाग/संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग/संस्थान में विहित प्रपत्र में शपथ पत्र के साथ, पात्रता से सम्बन्धित एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित आवेदन करेंगे।</li><li>▶ विहित प्रपत्र जिला नियोजनालय, चतरा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या नियोजनालय के वेबसाइट <a href="http://www.rojgar.jharkhand.gov.in">www.rojgar.jharkhand.gov.in</a> अथवा <a href="http://www.chatra.nic.in">www.chatra.nic.in</a> से भी download किया जा सकता है।</li></ul>
प्रोत्साहन राशि			
अहर्ताधारी प्रति आवेदक के लिए रू० 5000/- (एकमुश्त नियत राशि) मात्र एक वर्ष के लिए (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)।			

उपायुक्त  
चतरा।

8

### Annexure-I

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र  
(विहित प्रपत्र)

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

माता का नाम :-

जन्म तिथि :-

(नोट- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष) (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उक्त सीमा में नियमावली के तहत छूट देय होगी।)

लिंग (पुरुष/ महिला) :-

कोटि :-

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग) :- हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निबंधन सं० एवं निबंधन की तिथि :-

स्थायी पता (पिन कोड सहित) :-

वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :-

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न) :- हाँ/नहीं

मोबाईल सं० :-

आधार सं० :-

आधार लिंक बैंक खाता सं० :-

बैंक का नाम :-

IFSC Code :-

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

#### शपथ पत्र

01. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
02. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
03. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं,.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शतप्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

स्वअभिप्रमाणित फोटो  
(तिथि सहित)